28/5/16 पत्रावली प्रथम दृष्टया कमीशन के उपस्थित हमारे अवलोकन में है कि प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्य नहीं अपेक्षित चाहता है अतः प्रकरण चालान युक्त किया जाकर पत्रावली नस्ती हेतु कमीशन द्वारा कमीशन सहित दफ्तर को जावे।